संख्या 6633
04-0310

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या 1609/2009-2010

फाइल संख्या F-19757

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि स्वामी विवेकानन्द सामाजिक शैक्षिक संस्थान।

ग्राम भवानीगढ़ पोस्ट तेरिया तहसील अकबरपुर जनपद–अम्बेडकरनगर।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र संख्या 1794/2004-05

दिनांक 04/03/2005 को दिनांक 04/03/2010 से पांच वर्ष की अवधि

के लिये नवीकृत किया गया है।

200 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 04/03/2010

प्रबन्धक/सचिव
स्वामी विवेकानन्द सामाजिक शैक्षिक
संस्थान (भवानीगढ़) तेरि

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

Attested
प्रधानाध्यापक

स्मृति-पत्र

१. संस्था का नाम : स्वामी विवेकानन्द सामाजिक शैक्षिक संस्थान

२. संस्था का पता : ग्राम भवानीगढ़ पो.तेरिया तह.अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर

३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष

४. संस्था का उद्देश्य :

1. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न शैक्षाणिक, रोजगारपरक, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, त्वरित शिक्षा, सतत् शिक्षा आदि का संचालन करना।
2. संस्था द्वारा किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग से अनुदान लेकर सामाजिक स्तर को बढ़ावा देना तथा पंचायती राज व्यवस्था को समाज में समाहित करना।
3. समय-समय पर जागरूकता शिविर अनेकों कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगाना।
4. कृषि उपयोगी समस्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए संस्थाओं/मंन्त्रालय से अनुदान प्राप्त कर सम्पूर्ण भारत में हरित क्रान्ति लाना। हरित क्रान्ति हेतु कृषि विश्वविद्यालयों/सरकारी संस्थानों से नवीनतम जानकारी किसानों तक पहुचाना। इस समबन्ध में गोष्ठियों सेमीनार इत्यदि का आयोजन करना।
5. कृषि एवं पर्यावरण विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना।
6. संस्था द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना करना व प्रशिक्षण सहित व्यवस्था करना व समाज के नवयुवानों को रोजगार प्रदान करना व बंधुआ मजदूरी को रोकने का प्रयास करना, तथा बेरोजगारों के लिए रोजगारपरक एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
7. विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का निःशुल्क क्रियान्वयन करना।
8. समाज के कमजोर वर्ग, वृद्ध और महिला विधवाओं का स्वास्थ्य का निःशुल्क परीक्षण कराना।
9. ग्रामीण अंचल के लोगों के स्वास्थ्य हेतु योग और चिकित्सा, खेलकूद इत्यदि का समय-समय पर प्रशिक्षण कराना।
10. साम्प्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के लिए समय-समय पर गोष्ठियों आदि का आयोजन करना।
11. ग्रामीण स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास, तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन करना तथा कम लागत से आवास निर्माण सम्बंधी सरकारी सहयोग की नवीनतम जानकारी ग्रामीण अंचल की जनता तक पहुचाना।
12. सरकार के समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों में सहयोग और सहभागिता करना।
13. सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा परिवार कल्याण के कार्यक्रमों का संचालन करना।
14. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।
15. आर. सी. एच0 कार्यक्रम सिफ्सा योजना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को सम्पादित करना। निःशुल्क चैरिटेबिल चिकित्सा केन्द्र, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व बच्चा केन्द्र की व्यवस्था करके टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच व उपचार करना। भारतीय चिकित्सा पद्धति का संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार करना।
16. केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुचाने के लिए (सेतु) का कार्य करना।
17. विद्यालय, वाचनालय, निःशुल्क औषधालय, अनाथालय, व्यायामशाला, ओल्ड ऐज होम, गौशाला, इत्यादि का निर्माण करना तथा व्यवस्था करना।
18. विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक चेतना विकसित करना तथा सामाजिक विकास के मुद्दों के पक्ष में वातावरण निर्माण करना।

सत्य प्रतिलिपि

R.K

B.P. Dubey

19/03/2005

प्रधानाध्यापक

19. ग्रामीण विकास के ऐसे कार्यक्रमों का विकास करना जो स्थानीय परिवेश तथा परिस्थितियों के अनुरूप लाभार्थी समूह द्वारा सतत् संचालित हो सके।

20. गरीबी उन्मूलन के तथा सामाजिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम विकसित करना व क्रियान्वयन करना।

21. विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक चेतना विकसित करना तथा सामाजिक विकास के मुद्दों के पक्ष में वातावरण निर्माण करना।

22. गरीबी उन्मूलन के तथा सामाजिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम विकसित करना व क्रियान्वयन करना।

23. जड़ी बूटी, मशरूम, वर्मीकम्पोस्ट एवं अन्य कृषि तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना।

24. उपभोक्ता संरक्षण, सड़क सुरक्षा एवं मद्य व धूम्रपान निषेध के संबंध में जागरूकता गतिविधियों का संचालन करना।

25. प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बालक/बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था करना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, संगीत विद्यालयों, बौद्धिक, आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका निःशुल्क संचालन करना।

26. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यकों, गरीबों, महिलाओं एवं बालक-बालिकाओं तथा सामान्य हेतु सिलाई, गृहकला, कढ़ाई, दस्तकारी, टाइप शार्ट हैंड, पेन्टिंग, कम्प्यूटर फैशनडिजाइनिंग, रेडीमेड गॉरमेन्टस, एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसें ढोलक, संगीत, नृत्य एवं गायन, वादन इत्यादि का प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, तथा उन्हें संचालित करना।

27. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय व राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, आवार्ड, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन मंत्रालय, यूनिसेफ, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं संचालन करना।

28. मेधावी एवं अति निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को निशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता एवं पुष्टाहार दिलवाने की निशुल्क व्यवस्था करना।

29. वृक्षारोपण एवं पर्यावरण, नशा उन्मूलन, एड्स, पोलियो, कुष्ठ रोगियों तथा नेत्रहीन शिविर, परिवार नियोजन, रक्तदान, इत्यादि के कार्यक्रम का निःशुल्क संचालन करना। अन्धे, लगड़े मूक, बधिर, अनाश्रित, गरीब, बेरोजगार महिलाओं, पुरूषों के सर्वागीण विकास हेतु महिला सेवाश्रमों व केन्द्रों, अनाथालयों तथा छात्रावास, पुष्टाहार, प्रौढ़ शिक्षा, शिशुपालन केन्द्रों, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र, आश्रम, विधवा आश्रम इत्यादि की निशुल्क स्थापना व संचालन करना।

राकेश
रामगोपाल
मालती तिवारी
सत्यभामा
R. K
B.P. Dubey
सुनीता
महिमा शंकर
Dr. O. P. Tripathi

उत्तर प्रदेश फैजाबाद

प्रबन्धक/सचिव
स्वामी विवेकानन्द सामाजिक समिति

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
19/03/2015

S. K. Singh
प्रधानाध्यापक
प्रा० वि०- मसाक नूरपुर
वि०क्षे० सम्मुआ, सुलतानपुर

नियमावली

१. संस्था का नाम : स्वामी विवेकानन्द सामाजिक शैक्षिक संस्थान

२. संस्था का पता : ग्राम भवानीगढ़ पो.तेरिया तह.अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर

३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

आजीवन सदस्य :जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव एक बार में 200रू. रूपया नकद या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा

सामान्य सदस्य :जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100रू. रूपया सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

5 सदस्यता की समाप्ति

1 मृत्यु हो जाने पर ।
2 पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3 संस्था के प्रति हानि कर कार्य करने पर।
4 अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर ।
5 नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
6 नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
7 लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित होने पर।

6 संस्था के अंग : 1 साधारण सभा 2 प्रबन्धकारिणी समिति ।

7 साधारण सभा :

गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठके : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि: साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना दिन 7 पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी परन्तु स्थगित गणपूर्ति के अभाव में एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गयी दूसरी बैठक में गणपूर्ति का प्रतिबन्ध न होगा ।

वार्षिक अधिवेशन: साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी ।

साधारण सभा के कर्तव्य:

1 प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2 संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4 संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

8. प्रबन्ध कारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिनमे अध्यक्ष एक ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक,उपाध्यक्ष एक, सचिव/प्रबन्धक एक, कोषाध्यक्ष एक, उपसचिव एक, तथा 4 सदस्य सहित कुल 10 सदस्य होगें । सदस्यों की संख्या कभी भी आवश्यकतानुसार बढ़ाई व घटाई जा सकती है।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार व विशेष बैठकआवश्यकतानुसार किसी भी समय आहूत की जा सकती है ।

सूचनाअवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत कोरम होगा एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः दुबारा बुलाई गई बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
19/03/2015

S.K. Singh
प्रधानाध्यापक

B.P. Dubey
Dr. O. P. Tripathi

स्वामी विवेकानन्द सामाजिक शैक्षिक

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा शेष अवधि के लिए की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :
1 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
2 संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. संस्था के विकास हेतु दान-अनुदान चंदा, उपहार आदि को ग्रहण करना तथा उसे संस्था के विकास में लगाना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा ।

9 **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :**

अध्यक्ष :
1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2 समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
3 समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
4 पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
5 जन समुदाय में संस्थागत गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना।
6 बैठक में शन्ति व्यवस्था कायम रखना।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के कार्यों मे सहयोग प्रदान करना ।

उपाध्यक्ष : वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष के कार्यों मे सहयोग प्रदान करना ।

सचिव/प्रबन्धक :
1 संस्था का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होगा।
2 बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।
3 प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सम्पन्न करना।
4 संस्था के बैठकों की सूचना प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।
5 संस्था के विकास हेतु दान, अनुदान, चंदा, उपहार प्राप्त करना तथा उसकी रसीद प्रदान करना।
6 संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
7 बिल एवं वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
8 कर्मचारियों को नियुक्ति पदोन्निति एवं सेवामुक्ति करना।
9 आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।
10. समस्त अन्य संस्थाओं/एजेंसियों/विभाग/मंत्रालय से संबंधित समस्तप्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
11 संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
12 पारित बजट के अर्न्तगत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
13 सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।

उपसचिव सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार सचिव/प्रबन्धक के कार्यों मे सहयोग प्रदान करना ।

कोषाध्यक्ष
1 संस्था का कार्यालयी प्रबंध देखना।
2 वित्तीय मामलों में अध्यक्ष के साथ मिलकर निर्णय लेना।
3 चल एवं अचल संपत्ति को देख-रेख व सुरक्षा करना।
4 संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना।

10 **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :**
संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11 **संस्था का कोष :** संस्था का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त बैक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण सचिव/प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

S.K. Singh
प्रधानाध्यापक

12 **संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण आदिट :**

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13 **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :**

संस्था द्वारा होने वाली पक्ष-विपक्ष के मुकदमों की पैरवी अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

14 **संस्था के अभिलेख :**

1 सदस्यता रजिस्टर 2 कार्यवाही राजिस्टर 3 स्टाक रजिस्टर 4 लेजर-कैश बुक आदि

5 उपस्थिति रजिस्टर 6 गतिविधि रजिस्टर 7 आगंतुक पंजिका

इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य आवश्यक रजिस्टर रखे जाएगें।

15 **संस्था के विघटन एवं विघटित संपत्ति के निस्तारण को कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।**

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक : 28/02/2005

(मुहर: कार्यालय निबन्धक समितियां उत्तर प्रदेश फैजाबाद)

राकेश
रामप्रसाद
मालती तिवारी
सुमन मिश्रा
R.K.
B.P. Dubey
सुनीता
महिमाशंकर
Dr. O. P. Tripathi
आदित्यराज

S.K. Singh
प्रधानाध्यापक
प्रा० वि०-मलाकनूलपुर
वि०क्षे० लम्भुआ,सुलतानपुर

प्रतिलिपि कर्ता
नाम कर्ता 19/03/2005

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
19/03/2005

प्रबन्धक/सचिव
स्वामी विवेकानन्द सामाजिक ... संस्थान (भवानीगढ़) ...

स्वामी विवेकानन्द सामाजिक शैक्षिक संस्थान

ग्राम भवानीगढ़ पो.तेरिया तहसील भीटी जिला अम्बेडकरनगर

वर्तमान प्रबन्धकारिणी समिति की सूची

वर्ष 2010-2011

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री रामसुखी यादव पुत्र श्री नान्हू यादव	ग्राम व पो.बनगांव जिला अम्बेडकरनगर	अध्यक्ष	अध्यापन
2.	श्री राम मोहित पुत्र श्री रामधन	ग्राम व पो0 परसड़ा, जिला सुलतानपुर	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्रीमती विद्योत्तमा तिवारी पत्नी श्री हरिप्रकाश	1378/26 ए, विवेकानंद नगर, शास्त्रीनगर जिला सुलतानपुर	वरिष्ठ	अध्यापन उपाध्यक्ष
4.	श्रीमती बिन्दु पत्नी दिनेश मिश्रा	मोहल्ला सिविल लाइन, इलाहाबाद	कोषाध्यक्ष	अध्यापन
5.	श्री राकेश दुबे पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद	ग्राम भवानीगढ़ पो.तेरिया अम्बेडकरनगर	सचिव / प्रबन्धक	सामाजिक कार्य
6.	श्रीमती सुनीता पाण्डेय पत्नी श्री प्रेम चन्द्र पाण्डेय	ग्राम दुपही पो.पुरे दरबार अम्बेडकरनगर	उपसचिव	गृहणी
7.	श्रीमती राबिया बानों पत्नी श्री कलीम	ग्राम व पो0 भीखूपुर, जिला सुलतानपुर	सदस्य	समाजसेवा
8.	श्रीमती सुरीला पत्नी श्री राजेश कुमार	ग्राम शिशौड़ा पो0 सेमरी, जिला सुलतानपुर	सदस्य	गृहणी
9.	डा.महिमा शंकर पुत्र श्री रामगुलाम	ग्राम बरेहता पो.मिश्रौली सुलतानपुर	सदस्य	चिकित्सक

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
26/04/12

मार... (पूर्व अध्यक्ष)
मालती तिवारी (पूर्व कोषाध्यक्ष)
सुमन मिश्रा (पूर्व उपाध्यक्ष)
R.K. (पूर्व सदस्य)
सुनीता (पूर्व उपसचिव)
सुनिता पाण्डेय
O.P. Tripathi (पूर्व ...)
B.P. Dubey (पूर्व ...)

S.K. Singh
प्रधानाध्यापक
प्रा० वि०- मलाक नूरपुर
वि०क्षे० लम्भुआ, सुलतानपुर